बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

सं० :–2/अ०प्र०–1–258/2017 871 /पटना, दिनांक :– 2-5-23

श्री अशोक कुमार पासवान, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, तेघड़ा के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, तेघड़ा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष–2016–17 में FDR के तहत चार पथों के कार्यों में बरती गई अनियमितता एवं रू0 562900/– (पाँच लाख बासठ हजार नौ सौ रू0) की कुल वित्तीय क्षति होने से संबंधित आरोपों के लिए आरोप पत्र गठित कर विभागीय अधिसूचना संख्या–2813 दिनांक–04.12.2018 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 एवं 17 के तहत विभागीय कार्यवाही मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

मुख्य अभियंता–1 सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–5426 दिनांक–24.12.2019 द्वारा श्री पासवान के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री पासवान के विरूद्ध गठित सभी आरोपों को प्रमाणित पाये जाने का मंतव्य दिया गया।

उक्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए प्रमाणित आरोपों के लिए श्री पासवान से विभागीय पत्रांक–1127 अनु0 दिनांक–18.08.2021 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

श्री पासवान के दिनांक–31.07.2020 को सेवानिवृत हो जाने के कारण उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय अधिसूचना संख्या–1265 दिनांक–08.09.2021 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी0) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

श्री पासवान द्वारा अपने लिखित अभ्यावेदन दिनांक–10.09.2021 के माध्यम से द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव समर्पित किया गया। लिखित अभ्यावेदन में इनके द्वारा संचालन पदाधिकारी के मंतव्य के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया बल्कि दिनांक–31.07.2020 को सेवानिवृत होने का उल्लेख करते हुए सरकारी सेवकों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के कालबद्ध निष्पादन के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र के आलोक में विचार करने का अनुरोध किया गया।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य के आलोक में श्री पासवान द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए प्रमाणित आरोपों के लिए प्रश्नगत मामले में हुए कुल वित्तीय क्षति रू0–562900/– (पाँच लाख बासठ हजार नौ सौ रू0) के समानूपातिक वसूली के तहत रू0–187633/– (एक लाख सतासी हजार छः सौ तैंतीस रू0) की वसूली के साथ पेंशन से पाँच प्रतिशत की कटौती पाँच वर्षो तक किये जाने की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

उक्त दंड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग से विभागीय पत्रांक 1186 अनु0 दिनांक 05.07.2022 द्वारा परामर्श/सहमति की मांग की गयी जिसके आलोक में आयोग के पत्रांक 2740 दिनांक 22.10.2022 द्वारा दंड प्रस्ताव पर सहमति दी गयी।

उक्त आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–1937–सह–पठित ज्ञापांक–1938 दिनांक–14.11.2022 द्वारा श्री अशोक कुमार पासवान, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org,, E-mail:Secartary rwd bihar@gmail.com,& secy-reo-bih@nic.in

विभाग, कार्य प्रमंडल, तेघड़ा सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(ख) के तहत निम्नांकित शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया गयाः–

(1) कुल वित्तीय क्षति का समानूपातिक वसूली के तहत रू0–187633/– की वसूली।

(2) पेंशन से पाँच वर्षो तक पाँच (05) प्रतिशत की कटौती।

श्री पासवान द्वारा अपने अभ्यावेदन दिनांक–12.12.2022 के माध्यम से उक्त अधिरोपित शास्ति के विरूद्ध पुर्नविलोकन हेतु अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया। अपील अभ्यावेदन में श्री पासवान द्वारा आरोप के संदर्भ में कुछ भी नही कहा गया है बल्कि दिनांक–31.07.2020 को सेवानिवृत होने का उल्लेख करते हुए सरकारी सेवकों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के कालबद्ध निष्पादन के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र के आलोक में पुर्नविचार करने का अनुरोध किया गया।

चूँकि श्री पासवान द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन को उक्त आलोक में अस्वीकृत किया जा चुका है, अतः वर्तमान में समर्पित पुर्नविलोकन हेतु अपील अभ्यावेदन को अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अस्वीकृत किया गया है।

अतएव श्री अशोक कुमार पासवान, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, तेघड़ा सम्प्रति सेवानिवृत द्वारा समर्पित पुर्नविलोकन हेतु अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

28/4/2023

(संजय दूबे)

विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–1–258/2017 872 /पटना, दिनांक :– 2-5-23

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/4/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–1–258/2017 872 /पटना, दिनांक :– 2-5-23

प्रतिलिपि :–माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, समस्तीपुर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रगंडल, तेघड़ा/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 एवं श्री अशोक कुमार पासवान, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, तेघड़ा सम्प्रति सेवानिवृत पत्राचार का पताः–विसायटोला, पो0+थाना–नवगछिया, जिला–भागलपुर, पिन–853209 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/4/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–1–258/2017 872 /पटना, दिनांक :– 2-5-23

प्रतिलिपि :–विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/4/2023

विशेष सचिव

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org,, E-mail:Secartary rwd bihar@gmail.com,& secy-reo-bih@ni